8. M/s. Kinnison Jute Mills Company Ltd.
9. M/s. Engel India Machines & Tools Ltd.
10. Dr. Paul Lohmann (India) Limited.
11. M/s. Lily Biscuits Pvt. Ltd.

(c) and (d). Central Government do not provide any direct financial assistance to the State Governments for managing and reviving the sick industrial undertakings whose management has been taken over under the Industries (Development and Regulation) Act. The Government of West Bengal have taken responsibility of financing such industrial undertakings whose management has been entrusted to them, either directly or through arrangements with banks and financial institutions.

झालावाड़ जिले में लघु उद्योग

8404. **श्री चतुर्भुज :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा घोषित औद्योगिक नीति के अधीन झालावाड़ जिले (राजस्थान) में एक औद्योगिक केन्द्र कितने समय से चल रहा है;

(ख) केन्द्र स्थापित होने के बाद से 15 मार्च तक कितने लघु औद्योगिक एकक स्थापित किये गये हैं ;

(ग) क्या उन लघु औद्योगिक एककों, के नाम, स्थान, उनके द्वारा तैयार की जाने वाली वस्तुएं, उनमें लगाई गई पूंजी, आदि दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत किया जाएगा और

(घ) क्या यह औद्योगिक केन्द्र बिल्कुल निष्क्रिय है और यदि हां, तो उसके कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) झालावाड़ा जिला उद्योग केन्द्र 9 महीने से अर्थात् जुलाई, 1978 से कार्य कर रहा है ।

(ख) जिले से दिसम्बर, 1978 तक की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा जानकारी के अनुसार, 148 औद्योगिक एकक स्थापित किये गये हैं, जिनमें 128 कारीगर प्रधान एकक तथा 20 लघु एकक शामिल हैं :

(ग) राज्य सरकार ने स्थापित एककों के ठीक स्थापना स्थल, निवेश आदि के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई । देश में प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र से ऐसी जानकारी एकट्ठी नहीं की जाती है ।

(घ) जी, नहीं । दिसम्बर, 1978 तक की प्रगति से यह पता चलता है कि केन्द्र निष्क्रिय है । केन्द्र ने 1979-80 तक के लक्ष्य भी तैयार कर लिए हैं ।

Enactment of Laws to declare assests by persons Holding Public offices.

8405. SHRI S. S. LAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any efforts have been made to enact laws requiring holders of public office to declare their assets immediately on assuming or quitting office;

(b) if so, the nature of the steps taken in the direction; and

(c) if not, the reasons for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) to (c). There is already a Code of Conduct for Ministers, which provides for disclosure to the Prime Minister of all assets, liabilities and business interests of the Ministers as well as their family members, on assuming office and annually thereafter. The Government

have also decided to bring forward suitable legislation requiring all Members of Parliament (including Ministers) to declare their assets, liabilities and business interests. The modalities in this regard having been worked out the Government propose to discuss specific issues in regard to the proposed legislation with the Leaders of Opposition Parties in Parliament. The process of holding such consultations has since been initiated. Declaration of assets etc. by public servants is regulated by the relevant conduct rules. There is no proposal under the consideration of the Government to make a similar law to cover other holders of public offices.

बड़े उद्योगों के उप-उत्पादों का राज्यों के लिए आरक्षण

8406. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री दयाराम शाक्य :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के बड़े उद्योग राज्यों में स्थित हैं परन्तु उनके बिक्री डिपो कलकत्ता, बम्बई आदि बड़े नगरों में स्थित हैं और इन कारखानों के उत्पाद राज्यों को उपलब्ध करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राज्यों की आवश्यकता को देखते हुये ऐसे बड़े उद्योगों के उपउत्पाद का एक भाग उनके लिए आरक्षित करने हेतु व्यवस्था करेगी और उद्योग विभाग की सिफारिश पर संयंत्र से इन उप उत्पादों का आवंटन स्थानीय अधिकारियों को करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग). औद्योगिक उपक्रमों को औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करते समय औद्योगिक लाइसेंसों में ब्यौरे के साथ-साथ उनके स्थापना स्थल पर का भी उल्लेख किया जाता है। किन्तु उपक्रमों के मुख्यालयों/बिक्री कार्यालयों के स्थल का निर्णय उनके प्रबन्धक वर्ग द्वारा अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये स्वयं ही लिया जाता है। बहु-एककीय कम्पनियां विभिन्न राज्यों में अपने कारखाने स्थापित कर सकती हैं किन्तु अपने बिक्री कार्यालय विभिन्न स्थानों पर रख सकती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कम्पनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे केन्द्रीय सरकार को अपने मुख्यालय के पते के बारे में जानकारी न देकर अपने पंजीकृत कार्यालयों के पतों के बारे में ही जानकारी दें। राज्य में औद्योगिक एकक स्थापित करके अधिक राज्य को लाभ होगा ही फिर भी राज्य में मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय स्थापित किये जाने के परिणामस्वरूप भी कुछ लाभ हो सकता है। कम्पनी अधिनियम और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की कम्पनियों को अपने पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय विशेष स्थान पर स्थापित करने के सम्बन्ध में निदेश देने का सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है।

उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली किसी वस्तु का उचित मूल्यों पर समान वितरण तथा उपलब्धता निश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास की धारा 18ज के अन्तर्गत उक्त अधिनियम उसके संभरण तथा वितरण को विनियमित करने सम्बन्धी अधिसूचित आदेश जारी करने के अधिकार हैं।

No Permission to H.M.T. to manufacture Electronic Watches.

8407. SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Will the Minister of ELECTRONICS be pleased to state:

(a) whether the Hindustan Machine Tools is not being allowed to produce electronic watches because of indeci-